an>

Title: Need to shut down illegal slaughter houses and stop open sale of meat in every nook and corner in Uttar Pradesh posing serious health hazard to the public.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) ः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी हाल ही में देश के अन्दर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों तथा खुले मांस की बिक्री पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें तत्काल बन्द करने का आदेश सरकार को दिया है लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कोई प्रभावी कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं की है। उत्तर प्रदेश में चले रहे अवैध बूचड़खाने जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं, वहीं पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। खुलेआम चौराहे और मौहल्लों में मांस बेचा जा रहा है। खुला मांस तमाम प्रकार की संक्रामक बीमारियों के साथ-साथ "स्वाइन फ्लू" और "बर्ड फ्लू" आदि की दृष्टि से भी खतरनाक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खाने तथा खुलेआम बेचे जा रहे मांस की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बन्द करके पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को बन्द किया जाए।